(दिल्ली राजपत्र आसाधरण भाग – 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली (प्रशासनिक सुधार विभाग)

सं. 6/5/03-न्याय

दिनांक 10 मार्च, 2003

अधिसूचना

दिल्ली लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1995 (दिल्ली अधिनियम संख्या 1, 1996) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा धारा 5 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से मैं, विजय कपूर, उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, श्री मोहम्मद शमीम, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, का लोकायुक्त नियुक्त करता हूं।

श्री मोहम्मद शमीम का कार्यकाल इस पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष तक होगा ।

d mana

(विजय कपूर) उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली । दिनांक मार्च, 2003

DOLINE

संख्या फा. <u>6/5/03</u> - न्याय/ \$25

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- समस्त् प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप-सचिव/अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन, दिल्ली/नई दिल्ली । 1.
- समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन, दिल्ली/नई दिल्ली । समस्त अध्यक्ष, स्थाानीय निकायों, स्वायत संगठनों / उपकर्मों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2.
- दिल्ली शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा पोषित अन्य संस्थाएं, दिल्ली / नई दिल्ली । 3.
- स्चिव, उपराज्यपाल/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री/सचिव, समस्त मंत्रीगण, राष्ट्रीय 4. राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
- विशेष कार्य अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
- संयुक्त सचिव समन्वय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
- श्री मोहम्मद शमीम, लोकायुक्त 15, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

(दिनेश दयाल)

सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV EXTRAORDINARY OF THE DLEIH GAZETTE)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Department of Law, Justice & Legislative Affairs 8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi

No. 6/5/03-Judl.

4

Dated their March, 2003

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with section 5 of the Delhi Lokayukta and Upalokayukta Act, 1995 (Delhi Act 1 of 1996) and with the prior approval of the President of India, I, Vijai Kapoor, Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri Mohammed Shamim, retired Judge of the Delhi High Court as the Lokayukta for the National Capital Territory of Delhi.

Shri Mohammed Shamim shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

1000

Vijai Kapoor Lieutenant Governor of The National Capital Territory of Delhi

DD(AD)

No.F.6/5/03/Judl. / 57-5

Dated the 10 March, 2003

Copy forwarded to:

- Pr.Secretaries/Secretaries/Spl.Secretaries/Jt.Secretaries/Dy.Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi, Delhi/New Delhi.
- All Heads of Departments;, Govt. of NCT of Delhi, Delhi/New Delhi.
- All Heads of Local Bodies/Autonomous Bodies/Undertakings and other institutions owned or substantially financed by the Govt. of NCT of Delhi.
- Secretary to the Lt.Governor/Pr.Secretary to Chief Minister/Secretary to Ministers.
- OSD to Chief Secretary, Delhi Secretariat, 5th Level, A-Wing, New Delhi.
- Joint Secretary (Coordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi for publication in Delhi Gazette.
- Shri Mohd Shamim, Lokayukta, 15, Feroge Shah Road, New Delhi.

(Dinesh Dayal)

Secretary (Law, Jus. & LA)